भारतीय पुनर्वास परिषद्

सत्यमेव जयते

भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय)
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA
A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

7-16/2016-भा.पु.प. 11 मई, 2018

परिपत्र

विषय : सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम के अनुमोदन की प्रकिया के संदर्भ में दिशा निर्देश दिनांक 02/12/2016 के क्रम में |

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषय पर परिषद् के परिपत्र संख्या 7-16/2016-भा.पु.प. दिनांक 02/12/2016 के क्रम में परिषद् द्वारा प्रसारित 10 दिशा निर्देशों में निर्देश संख्या 8 एवं 9 में निम्नानुसार परिवर्तन का निर्णय लिया गया है :

निर्देश संख्या 8 :- राष्ट्रीय संस्थान द्वारा स्वयं आयोजित किये जाने वाले सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम, कार्यशाला राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों आदि का अनुमोदन पूर्व की भांति भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा परन्तु शेष सभी गैर सरकारी संस्थान, व्यवसायिक संगठन, प्रशिक्षण संस्थान आदि द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन निहित हो अथार्त प्रतिभागियों की संख्या 30 से अधिक हो अब भारतीय पुनर्वास परिषद् के स्थान पर सम्बंधित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे|

निर्देश संख्या 9 :- व्यवसायिक संगठन/ विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान आदि के द्वारा आयोजित सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम /कार्यशाला /सम्मेलन आदि का अनुमोदन भी अब राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा ही किये जायेंगे |

उक्त के अतिरिक्त सतत पुनर्वास शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न निर्णय भी लिए गए हैं :

1. सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम से सम्बंधित रिपोर्ट की हार्ड कॉपी राष्ट्रीय संस्थान के पास रहेगी व किसी भी स्तर से भारतीय पुनर्वास परिषद् को प्रेषित नहीं की जाएगी अपितु केवल सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) के प्रतिभागियों की सूची सम्बंधित राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक के हस्ताक्षर से प्रमाणित होकर भारतीय पुनर्वास परिषद् को हार्ड व् सॉफ्ट कॉपी में भेजी जाएगी |

11.05.2018

......अ.पृ.प./-

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016
B-22, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 016
Tel.: 011-2653 2408, 2653 2384, 2653 4287, 2653 2816 Fax : 011-2653 4291
E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in, rehcouncil_delhi@bol.net.in
Website : www.rehabcouncil.nic.in

Please Recycle

2. सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) के कार्यक्रमों का वर्गीकरण अब निम्नानुसार कर दिया गया है :

आयोजित कार्यक्रम का स्तर	स्वीकृत क्षमता	टिप्पणी
1. स्थानीय स्तर पर आयोजित	अधिकतम 30	-
2. राज्य स्तर पर आयोजित	अधिकतम 50	सम्बंधित राज्य के कुल जनपदों में से न्यूनतम 20% जनपदों की भागीदारी अनिवार्य होगी।
3. जोनल स्तर (जैसा कि भा. पु. प. द्वारा परिभाषित जोन (सूची संलग्न))	अधिकतम 75	जोन से सम्बंधित समस्त प्रदेशों की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
4. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित	अधिकतम 100	न्यूनतम 5 प्रदेशों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
5.अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित	अधिकतम 150	न्यूनतम 3 देशों की प्रतिभागिता अनिवार्य होगा।

नोट : उपर्युक्त व्यवस्था सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम से सम्बंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रभावी होगी।

3. सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) के सम्बन्ध में शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

4. जिन सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रमों में धनराशि की मांग की गयी हो, उनके सम्बन्ध में पूर्व की भांति भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाता रहेगा परन्तु ऐसे समस्त प्रस्ताव भी राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से एवं उनकी अनुसंशा सहित भारतीय पुनर्वास परिषद् को भेजे जाएँगे।

4. उक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से परिपत्र निर्गमन की तिथि से प्रभावी व प्रवृत्त हो जाएगी।

उपरोक्त परिपत्र अध्यक्ष महोदय के निर्देश एवं अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

11/05/2018

(एस.के. श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव।

संलग्नक - यथोपरि

प्रतिलिपि :

1. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन कार्यरत समस्त राष्ट्रीय संस्थान/ क्षेत्रीय संस्थान / कार्यालय।
2. भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित समस्त प्रशिक्षण संस्थान।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद् की वेबसाइट।